विश्व हिन्दी दिवस समारोह एवं संगोष्ठी, विश्व हिन्दी सचिवालय, मॉरिशस

12.1.2011

वीणा उपाध्याय, भारतीय प्रशासनिक सेवा

सचिव, राजभाषा विभाग

भारत सरकार

स्वागत
एवं
अभिनन्दन

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
भारत सरकार

देश में हिंदी

(स्रोत : जनगणना रिपोर्ट, 2001)

- कुल जनसंख्या में हिंदी मातृभाषी व्यक्तियों के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है। यह प्रतिशत जो 1971 में 36.99 था, 1981 में 38.74%, 1991 में 39.29% तथा 2001 में 41.03% हो गया। वर्ष 2001 में 42 करोड़ से अधिक जनसंख्या की मातृभाषा हिंदी थी। अन्य किसी भी भारतीय भाषा के लिए यह प्रतिशत 9% से कम है।

- वर्ष 1971 से लेकर वर्ष 2001 तक प्रत्येक दशक में हिंदी मातृभाषी व्यक्तियों की संख्या में लगभग 27 से 28% की वृद्धि हुई है।

- मैथिली, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला व उड़िया आदि भाषाओं को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों, जिनके बारे में माना जा सकता है कि वे हिंदी समझ सकते हैं, का प्रतिशत 31.44 है। यानि कुल जनसंख्या में हिंदी बोलने एवं समझने वालों का प्रतिशत 72 से भी ज्यादा है।
- सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सबसे अधिक बोली जाने वाली 15 मातृभाषाओं में हिंदी शामिल है जबकि इन 15 भाषाओं की सूची में अंग्रेजी केवल 6 राज्यों में भी अपेक्षाकृत नगण्य संख्या के लोगों की मातृभाषा के रूप में स्थान पाती है।

हिंदी समाचार पत्र

(भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय के वर्ष 2005-06 के आंकड़े)

- कुल पंजीकृत 62,483 समाचार पत्रों एवं आवधिकों (periodicals) में सबसे बड़ी संख्या (24,927) हिंदी के समाचार पत्रों व आवधिकों की है। दूसरा स्थान 9,064 पंजीकृत समाचार पत्रों व आवधिकों के साथ अंग्रेजी भाषा का है।
- वार्षिक विवरण जमा करने वाले 8,512 समाचार पत्रों से प्राप्त विवरण के अनुसार वर्ष 2005-06 में 4,131 हिंदी समाचार पत्रों की 7.67 करोड़ प्रतियों के परिचालन के साथ देश में छपने वाले समाचार पत्रों में हिंदी प्रथम स्थान पर है। इस संबंध में दूसरे स्थान पर आने वाले अंग्रेजी के समाचार पत्रों की संख्या (864) एवं परिचालित प्रतियों की संख्या (3.41 करोड़) काफी पीछे है।

हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि

- हिंदी एक सक्षम, समर्थ और उदारशील भाषा है। संतों तथा विभिन्न मतों और धर्मों के अनुयायियों ने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और हिंदी को देश के कोने-कोने तक पहुंचाया।
- यह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके अधिकतर नियम अपवादविहीन हैं।
- भारतीय संस्कृति की सबल संवाहिका होने के नाते हिंदी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है।
- यह सच्चे अर्थों में विश्व भाषा बनने की योग्यता रखती है।

- हिंदी के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपि, देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक (फोनेटिक) लिपि है जो उच्चारण एवं स्पष्टता की दृष्टि से व्यवस्थित व वैज्ञानिक है।
- हिंदी अक्षरमाला में 11 स्वर व 35 व्यंजन हैं।
- हिंदी के लिए प्रयोग की जाने वाली देवनागरी लिपि प्राचीन लिपि ब्राह्मी से विकसित हुई है और यह दूसरी भारतीय लिपियों जैसे गुजराती व बांग्ला से करीब से जुड़ी है।
- भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, लाओस, कम्बोडिया, मंगोलिया और थाइलैंड देशों की लिपियां भी देवनागरी की सहगोत्रा हैं।

विश्व में हिंदी के बढ़ते कदम

- हिंदी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है।
- विदेशियों के हिंदी की ओर रूझान का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि गार्सा-द-तासी, ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, फादर कामिल बुल्के आदि जैसे विदेशी विद्वानों को अनदेखा कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। हिंदी में सर्वप्रथम अनुसंधान के आयाम खोलने, उसके तुलनात्मक अध्ययन का सूत्रपात करने तथा सबसे पहले हिंदी के कोश निर्माण का श्रेय विदेशी विद्वानों को जाता है।
- प्रयोक्ताओं की संख्या के आधार पर उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 1952 में हिंदी पाँचवें स्थान पर थी। 1980 के आसपास वह चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरे स्थान पर आ गई। वर्तमान में भारत की जनगणना में हिंदी को मातृभाषा घोषित करने वालों की संख्या के आधार पर चीनी भाषा के बाद विश्व में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार हिंदी विश्व में प्रथम स्थान पर है।

- भाषाओं के विश्व सर्वे के अनुसार भी पिछले तीन दशकों में जहां अंग्रेजी व चीनी बोलने वालों की संख्या की वृद्धि दर में कमी आई है वहीं हिंदी व अरबी भाषाओं के प्रसार ने मजबूती दिखाई है।
- वर्ष 2001 में विश्व के विभिन्न देशों में भारतीय मूल के प्रवासियों की अनुमानित संख्या 86.86 लाख थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001 में लगभग 39 लाख भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे थे। विदेशों में रह रहे इन प्रवासी भारतीयों एवं भारतीय नागरिकों में से अधिकांश हिंदी समझते हैं।
- अनेक प्रवासी भारतीय अपनी कविताओं, उपन्यासों, कहानियों, नाटकों आदि के द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं।

- एक अनुमान के अनुसार विदेशों में लगभग 93 देशों के 135 विश्वविद्यालयों में हिन्दी सुनियोजित ढंग से पढाई जा रही हैं । भारत से बाहर जिन देशों में हिन्दी का बोलने, लिखने-पढने तथा अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से प्रयोग होता है, उन्हें हम इन वर्गों में बांट सकते हैं–

1. जहां भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जैसे – मारीशस, फिजी, सूरीनाम, गयाना व ट्रिनीडाड एण्ड टुबैगो।
2. भारत के पड़ोसी देश : पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बंगलादेश, म्यांमार और श्रीलंका।
3. भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जैसे- इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, कोरिया तथा जापान आदि ।
4. जहां हिंदी को विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में पढाया जाता है, जैसे - अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के देश।
5. अरब और अन्य इस्लामी देश, जैसे- संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) अफगानिस्तान, कतर, मिस्र, उजबेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि ।

- हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को अधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कराने के लिए कार्य करने के उद्देश्य से मारीशस में विश्व हिंदी सचिवालय ने 11 फरवरी 2008 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।
- रेड़ियो पर अनेक देश हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जिनमें बी.बी.सी., वायस ऑफ अमेरिका, जर्मनी के रेड़ियो कोलोन की हिंदी सेवा विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
- अनेक हिंदी पुस्तकों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। गोदान का विश्व की अनेक प्रमुख भाषाओं जापानी, फिनिस, पोलिश, चेक, फ्रांसीसी आदि में अनुवाद हो चुका है।

संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान

- संविधान का अनुच्छेद 343(1) – संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी ।
- संविधान का अनुच्छेद 343(3) – अधिनियम पारित करके 26 जनवरी 1965 के बाद भी सरकारी कार्य में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना ।
- **संविधान का अनुच्छेद 345** -- राज्यों की विधान सभाएं राजभाषा के समस्त अथवा किसी भी शासकीय प्रयोजनार्थ राज्य में प्रचलित किसी एक अथवा एक से अधिक भाषाओं अथवा हिन्दी को अपनाने के लिए स्वच्छंद । साथ ही विधान सभा द्वारा अन्यथा कानून बनाए जाने की दशा को छोड़ते हुए, अंग्रेजी भाषा का शासकीय प्रयोग अनुमन्य ।
- संविधान का अनुच्छेद 351 – संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार व उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके । संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं के रूप, शैली व पदों को अपनाते हुए तथा उनके शब्दों को ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा को समृद्ध किया जाए ।

राजभाषा अधिनियम, 1963

(संविधान के अनुच्छेद 343(3) के प्रावधान के अनुसार वर्ष 1963 में पारित)

- धारा 3(1) - संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की समाप्ति पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा संघ के राजकीय कार्यों तथा संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रहेगी।
- धारा 3(3) - संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजातों, करारों, निविदा प्रारूपों आदि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए।

राजभाषा नियम, 1976

- नियम 5 - हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं।

- नियम 8(1) - कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।
- नियम 8(4) – केन्द्र सरकार नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है कि उनमें हिंदी में प्रवीण कर्मचारी टिप्पण और प्रारूप आदि में केवल हिंदी का प्रयोग करें।

- नियम 9 – कोई कर्मचारी हिंदी में प्रवीण तभी माना जाएगा जबकि उसने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उच्च स्तर की कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो, या जिसने स्नातक परीक्षा में अथवा उसके समतुल्य अथवा उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी एक वैकल्पिक विषय से उत्तीर्ण की हो, या निर्धारित प्रपत्र में हिंदी में प्रवीणता की घोषणा की हो।

- नियम 10(1) - किसी कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान तभी माना जाएगा जबकि उसने मैट्रिक या उसके समतुल्य या उच्च स्तर की कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, या जिसने प्राज्ञ अथवा अन्य निर्धारित निम्नतर परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या केन्द्र सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या निर्धारित प्रपत्र में हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान की घोषणा की हो।

- नियम 10(4) - यदि किसी कार्यालय में 80% या अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो तो उस कार्यालय का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।

- नियम 12 - केन्द्र सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों, इनके उपबंधों और इनके आधीन जारी निदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करे तथा इसके लिए उपयुक्त व प्रभावकारी जांच बिन्दु बनाएं।

संघ की राजभाषा नीति

- हिंदी संघ की राजभाषा – संविधान अनुच्छेद 343(1), 345 और 351
- हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग जारी -- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के साथ सहपठित धारा 3(1), व 3 (5)।
- प्रेरणा, प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा सद्‌भावना से राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार एवं कार्यान्वयन।
- निदेशों के अनुपालन का दायित्व प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का है।

संघीय राजभाषा नीति की मुख्य विशिष्टताएँ

- संघीय प्रकृति
- लोकतांत्रिक स्वरूप
- उदार, सहिष्णु एवं भाषा निरपेक्ष
- संवदेनशील एवं पराअनुभूतियुक्त
- समावेशीय एवं संतुलन सिक्त

राजभाषा विभाग के दायित्व

- राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति जी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना।
- राजभाषा हिंदी के प्रयोग व प्रसार से संबंधित विभिन्न समितियों के कार्यों का समन्वय।
- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि, हिंदी टंकण एवं कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग का प्रशिक्षण।
- केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए हिंदी अनुवाद व्यवस्था करना तथा अंग्रेजी - हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण योजना लागू करना।
- संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों सहित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी का अनुमोदन प्राप्त करना।
- केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का प्रबंधन।

संसद/विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका में राजभाषा के प्रयोग संबंधी प्रावधान

संसद/विधायिका

- संविधान का अनुच्छेद 120: संसद में कार्य निष्पादन हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सभापति अथवा अध्यक्ष की स्वीकृति से मातृभाषा का प्रयोग अनुमन्य ।
- संविधान का अनुच्छेद 210 : विधान मंडलों में कार्य निष्पादन राज्य की शासकीय प्रयोजनार्थ भाषा अथवा भाषाओं अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में अथवा विधानसभा के अध्यक्ष/विधान परिषद के सभापति की स्वीकृति से मातृभाषा का प्रयोग अनुमन्य ।

न्यायपालिका

- संविधान का अनुच्छेद 348- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक, सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी । समस्त विधेयकों व उनके संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों आदेशों, नियमों , विनियमों और उपविधियों का अंग्रेजी संस्करण प्राधिकृत संस्करण होगा ।
- किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में, हिन्दी भाषा अथवा शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली भाषा को न्यायलयों की कार्यवाहियों के लिए (इसमें निर्णय, डिक्री, या आदेश शामिल नहीं हैं) प्राधिकृत किया जा सकता है।
- राजभाषा अधिनियम की धारा 7- किसी भी राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति की सहमति से उस राज्य की राजभाषा में उस राज्य विशेष के उच्च न्यायलय द्वारा लिए गए निर्णय, या डिक्री या आदेश को, अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी या राज्य की राजभाषा में पारित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है बशर्ते कि उसके साथ उच्च न्यायालय द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत अनूदित संस्करण भी जारी किया जाए।

संसद/विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका में राजभाषा के प्रयोग संबंधी प्रावधान

कार्यपालिका

- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) – समस्त संकल्प, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन और राजकीय अभिलेख; संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, सूचनाएँ और निविदा प्रारूप द्विभाषी होंगे।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 6 – किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश में शासकीय प्रयोजनार्थ हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित किए जाने पर, अधिनियम अथवा अध्यादेश, जैसी भी स्थिति हो, का उस भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद भी किया जायेगा।

संसद/विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका में राजभाषा के प्रयोग संबंधी प्रावधान

कार्यपालिका

- राजभाषा नियम 1976 का नियम 3 : अपवाद को छोड़ते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा **क** क्षेत्र से पत्राचार हिंदी में, अन्यथा की दशा में हिंदी अनुवाद सहित; **ख** क्षेत्र से सामान्यतया हिंदी में; **ग** क्षेत्र से अंग्रेजी में।

  परंतुक यह है कि हिंदी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो समस्त प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित किए जायेंगे।
- नियम 5 : केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा हिंदी में प्राप्त समस्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिये जायेंगे।
- नियम 9 : हिंदी भाषा में प्रवीणता परिभाषित; नियम 10 : हिंदी भाषा में कार्यसाधक ज्ञान परिभाषित
- नियम 11 : समस्त मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी साहित्य, रजिस्टरों के शीर्षक और प्रारूप, नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख द्विभाषीय होंगे।
- नियम 12 : प्रत्येक हिंदी कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि राजभाषा अधिनियम और नियम के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन हो और इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त और प्रभावी जांच के उपाय हो। नियम 12(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार अधिनियम और नियम के उपबंधों के अनुपालनार्थ समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है।

कार्यपालिका में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की वार्षिक कार्ययोजना : 2010-11

विशिष्ट बिंदु

- धारा 3(3) का कड़ा अनुपालन
- समस्त परीक्षाओं, अखिल भारतीय परीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए एवं साक्षात्कार का माध्यम हिंदी भाषा में अनुमन्य
- वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान लेखों के प्रस्तुतीकरण को प्रोत्साहन
- आधारभूत और सेवाकालीन, दीर्घकालिक व अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिंदी में संचालन

कार्यपालिका में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की वार्षिक कार्ययोजना : 2010-11

विशिष्ट बिंदु

- समस्त कोड, मैनुअल्स, लेखन सामग्री, नामपट्ट, सूचनापट्ट, रबड़ की मोहरें, निमंत्रण-पत्र द्विभाषी बनाया जाना
- प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा राजभाषा विभाग को हिंदी के प्रयोग की तिमाही प्रगति आख्या का अनिवार्य प्रेषण
- हिंदी प्रयोग की प्रगति का विभिन्न समीक्षा बैठकों में अनुश्रवण
- हिंदी भाषा के शाब्दिक भंडार का समृद्धिकरण
- हिंदी के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स का प्रयोग
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में प्रशासकीय मुखिया की अनिवार्य प्रतिभागिता
- प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा राजभाषा विभाग को हिंदी के प्रयोग की वार्षिक प्रगति आख्या का मई माह के अंत तक अनिवार्य प्रेषण

कार्यपालिका में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की वार्षिक कार्ययोजना : 2010-11

विशिष्ट बिंदु

- हिंदी में मूल पत्राचार का विहित प्रतिशत

क क्षेत्र	ख क्षेत्र	ग क्षेत्र
क से क : 100	ख से क : 90	ग से क : 55
क से ख : 100	ख से ख : 90	ग से ख : 55
क से ग : 65	ख से ग : 55	ग से ग : 55

- हिंदी में टिप्पणी

क क्षेत्र	ख क्षेत्र	ग क्षेत्र
75	50	30

- हिंदी में श्रुतलेखन : तीनों क्षेत्रों में 20%

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन निमित्त बहुस्तरीय मार्गदर्शनार्थ व अनुश्रवणार्थ समितियां

शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शनार्थ समितियां

- मा. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिंदी समिति
- मा. गृहमंत्री की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति
- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संबंधित मा. मंत्रिगण की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियां

शीर्ष स्तर पर अनुश्रवणार्थ समितियां

- सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति
- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संबंधित संयुक्त सचिवों की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियां
- विभिन्न नगरों में केन्द्रीय कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों की उपलब्ध वरिष्ठतम अधिकारी की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

संसदीय राजभाषा समिति

- **संसदीय राजभाषा समिति का गठन**

  राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत।

- **संरचना**

  30 सदस्यीय समिति में 20 सदस्य लोकसभा तथा 10 राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर।

- **समिति का अभिदेश**

  समिति केन्द्र सरकार में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा कर महामहिम राष्ट्रपति को संस्तुतियां प्रस्तुत करती है।

  संस्तुति आख्या को संसद को दोनों सदनों में प्रस्तुत कर तथा राज्य सरकारों से परामर्श के उपरांत महामहिम संस्तुतियों पर उपयुक्त निर्देश पारित करते हैं।

संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों के विशिष्ट बिंदु

मानव संसाधन मंत्रालय

- त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के प्रभावी उपाय
- ‘ख’ और ‘ग’ क्षेत्रों में स्थित सभी राज्यों व संघशासित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य हिंदी शिक्षा। 12वीं कक्षा तक हिंदी को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था
- अहिंदीभाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभागों का खोलना
- सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से हिंदी विभागों का खोलना व स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा होना
- वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा द्विभाषी पुस्तकों की विषयवार सूचियों विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों को उपलब्ध करवाना

सूचना व प्रसारण मंत्रालय

- दूरदर्शन/आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रमों में राजभाषा के प्रयोग बढ़ाने संबंधी स्लोगन/छोटे-छोटे वृत्तचित्र/राष्ट्रीय नेताओं के उद्‌गार प्रसारित करना
- प्रकाशन विभाग की मौजूदा कार्यप्रणाली की गहन परीक्षा

संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों के विशिष्ट बिंदु

वित्त मंत्रालय

- द्विभाषी डाटा प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर में एकरूपता हो
- बीमा पॉलसियां द्विभाषी हों

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

- साक्षात्कार के निमंत्रण-पत्र द्विभाषी हों; साक्षात्कार अभ्यर्थी की इच्छानुसार हिंदी में हो।
- नए भर्ती होने वाले कर्मियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण से पहले हिंदी प्रशिक्षण दिया जाए।

वाणिज्य विभाग

- विदेशों में बिक्री के लिए भेजे भारतीय उत्पादों पर विदेशी भाषा के साथ-साथ हिंदी का अनिवार्य रूप से प्रयोग हो।

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग

- हिंदी सॉफ्टवेयर में अनुसंधान व विकास
- मानकीकृत देवनागरी सॉफ्टवेयर यानि यूनिकोड फोंट्स का विकास

संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों के विशिष्ट बिंदु

दूरसंचार विभाग

- एमटीएनएल व बीएसएनएल के बिलों में द्विभाषी प्रविष्टियां

विधि एवं न्याय मंत्रालय

- समयबद्ध ढंग से विधि प्रारूपण के प्रशिक्षण का कार्य किया जाना
- विधायी प्रारूपण का कार्य हिंदी में प्रारंभ करना और इसके लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना

रेलव बोर्ड व नागर विमानन मंत्रालय

- रेलवे प्लेटफार्मों व हवाई अड्डों पर द्विभाषी डिजीटल बोर्ड लगाना

विदेश मंत्रालय

- पासपोर्टों में द्विभाषी प्रविष्टियां किया जाना

समस्त मंत्रालयों के साझे कार्य बिंदु

- हिंदी सलाहकार समितियों की बैठकों में प्रतिष्ठानों में राजभाषा के प्रयोग की प्रगति समीक्षा भी की जाए।

संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों के विशिष्ट बिंदु

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में कार्यालयों के प्रधान स्वयं भाग लें
- ‘ग’ क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय में कम से कम एक हिंदी स्टाफ की तैनाती अनिवार्य हो
- भविष्य में सभी संगठनों के प्रतीक चिह्न/लोगो द्विभाषी बनाए जाएं
- उपक्रमों/निगमों के ब्रोशर, मुद्रित सामग्री और प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त सामग्री अनिवार्य रूप से हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में प्रकाशित करना

पुरस्कारों द्वारा प्रोत्साहन व प्रेरणा

- **इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार** : हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु
- **राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार** : तकनीकी व समसामयिक विषयों पर लेखन हेतु
- **क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार** : वार्षिक कार्य योजना के मानकों के सापेक्ष विभिन्न प्रयोजनार्थ राजभाषा के प्रयोग की उत्कृष्टता हेतु
- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों द्वारा हिंदी राजभाषा/हिंदी के प्रयोग पर पुरस्कार स्वरूप अनेक प्रकार के वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में अधिकारी/कर्मी उनके परिवार के सदस्य तथा विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के छात्र सम्मिलित

सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए विभाग के मुख्य प्रोत्साहन/पुरस्कार योजनाएं

राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना	इंदिरा गांधी राजभाषा मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना
आधुनिक ज्ञान की सभी विधाओं में हिंदी में स्तरीय साहित्य को प्रोत्साहित करना	केन्द्र सरकार के कार्यालयों/संगठनों/संस्थानों में किए गए/किए जा रहे कार्यों से संबंधित लेखन को प्रोत्साहित करना
➢प्रथम - 2,00,000-रू.	➢प्रथम-40,000- रू.
➢द्वितीय - 1,25,000-रू.	➢द्वितीय-30,000- रू.
➢तृतीय - 75,000-रू.	➢तृतीय-20,000- रू.
➢सांत्वना (10 पुरस्कार) - 10,000रू.	

राजभाषा विभाग के मुख्य स्तम्भ

राजभाषा विभाग के तीन मुख्य स्तम्भ हैं :

- केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
- केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो
- क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की अवस्थापना व उपलब्धियां

संस्थान का उद्गम

हिंदी भाषा प्रशिक्षण का आरंभ 1955 में; केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1985 में

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का अवस्थापना विस्तार

- मुख्यालय एवं पांच क्षेत्रीय कार्यालय – कोलकाता, गुवाहाटी, मुंबई, नई दिल्ली व चेन्नई
- 05 उपसंस्थान – मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरू, चैन्नई और हैदराबाद
- 109 पूर्णकालिक तथा 05 अंशकालिक भाषा प्रशिक्षण केंद्र
- 20 पूर्णकालिक और 13 अंशकालिक हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र

कार्यक्रमों का वैविध्य

- भाषा, टंकण, आशुलिपि व आई.टी. एप्लीकेशंस में प्रशिक्षण; भाषा पत्राचार पाठ्यक्रम व टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम
- दीर्घकालिक, मध्यमकालिक व अल्पकालिक अवधियों का विकल्प
- अभिमुखी, सेवाकालीन, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की अवस्थापना व उपलब्धियां

क्रमिक उपलब्धि

• हिंदी भाषा	14,47,593
• हिंदी टंकण	1,51,953
• हिंदी आशुलिपि	28,908
• हिंदी कार्यशालाएं	21,921
• अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	3,988
कुल योग	16,54,363

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के पिछले 05 वर्षों (वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक) में हिंदी भाषा हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, गहन हिंदी कार्यशालाओं एवं अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों का समेकित विवरण (लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ)

हिंदी भाषा (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ)	हिंदी टंकण लक्ष्य उपलब्धि	हिंदी आशुलिपि लक्ष्य उपलब्धि	गहन हिंदी कार्यशालाएं लक्ष्य उपलब्धि	अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लक्ष्य उपलब्धि
1,91,560 1,41,624	24,836 16,278	9,000 2,885	140 कार्य. 164 कार्य. 4200 प्रति. 3045 प्रति.	31 कार्य. नामन पर आधारित 29 कार्य. 666 प्रति.

कार्य. – कार्यक्रम प्रति. - प्रतिभागी

वर्ष 2010-11के लक्ष्य -1.04.2010 से 31.12.2010 तक की उपलब्धियों का विवरण

हिंदी भाषा (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ)	हिंदी टंकण लक्ष्य उपलब्धि	हिंदी आशुलिपि लक्ष्य उपलब्धि	गहन हिंदी कार्यशालाएं लक्ष्य उपलब्धि	अन्य अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लक्ष्य उपलब्धि
34,550 20,810	4,490 2,761	1,440 256	75 कार्य. 30 कार्य. 2250 प्रति. 495 प्रति.	07 कार्य. नामन पर आधारित 05 कार्य. 106 प्रति.

कार्य. – कार्यक्रम प्रति. - प्रतिभागी

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की अवस्थापना व उपलब्धियां

ब्यूरो का उद्गम

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन : वर्ष 1971

अनुवाद क्षमता विस्तार योजना का आरंभ : वर्ष 1989

अवस्थापना विस्तार

- 03 क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यालय – मुंबई, बेंगलुरू व कोलकाता

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वैविध्य

- दीर्घकालिक, मध्यमकालिक व अल्पकालिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम
- राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की अवस्थापना व उपलब्धियां

अनुवाद कार्य

- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा विभिन्न आयोगों व समितियों की विभिन्न अति-महत्वपूर्ण रिपोर्टों, राष्ट्रपति जी व प्रधान मंत्री जी के संबोधनों तथा विभिन्न मैनुअलों और अधिनियमों का अनुवाद

उपलब्धियां

- क्रमिक उपलब्धि
- कुल अनूदित पृष्ठ : 21,79,384
- कुलदीर्घकालिक प्रशिक्षार्थी : 9849
- कुल मध्यमकालिक प्रशिक्षार्थी : 809
- कुल अल्पकालिक प्रशिक्षार्थी : 11260
- कुल उच्चस्तरीय : 857
- कुल पुनश्चर्या : 915

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की अवस्थापना व उपलब्धियां

वर्ष	अनूदित मानक पृष्ठ		अनुवाद प्रशिक्षण से लाभान्वित प्रशिक्षणार्थी	
	लक्षित	उपलब्धि	लक्षित	उपलब्धि
2007-08	76,000	73,234	880	812
2008-09	76,000	57,154	880	809
2009-10	76,000	51,861	770	795
2010-11 (दिसंबर 2010 तक)	37,200	30,569	770	547

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की अवस्थापना व उपलब्धियां

- देश भर में फैले केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा व निरीक्षण के लिए 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कोलकाता, मुंबई, गाजियाबाद, बेंगलूर, भोपाल, कोचीन, गुवाहाटी, दिल्ली में ।

- क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा वर्ष 2010 (नवंबर तक) के दौरान 1088, वर्ष 2009-10 में 1,584 केन्द्रीय कार्यालयों एवं वर्ष 2008-09 में 1437 केन्द्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।
- देशभर में 274 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) की स्थापना । केंद्रीय कार्यालयों, बैंकों व उपक्रमों की क्रमश: 235, 26 व 13 नराकास हैं । नराकास की संख्या में बढ़ोतरी की संभावनाओं के दृष्टिगत त्वरित व सक्रिय रूप से विभाग प्रयासरत है ।

नूतन पहलात्मक कदम

- राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय धरातलीय यथार्थ के दृष्टिगत विभिन्न भाषाओं में सौहार्द्रपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता
- सह-अस्तित्व के दायरे में राजभाषा हिंदी के लिए और अधिक स्थल और स्थान अनिवार्य
- संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुकूल हिंदी भाषा का विभिन्न भाषाओं से समृद्धिकरण ,एवं इस आश्यार्थ मानव संसाधन मंत्रालय के विभिन्न संगठनों से नियमित और निरंतर समन्वय
- राजभाषा विभाग के विभिन्न संगठनों में रा .भा . नीति के कार्यान्यवयनार्थ सतत व सघन सामंजस्य नराकस की संख्या में विस्तार
- महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आदेशों के अनुपालन का गहन अनुश्रवण
- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के समीचीन विकासार्थ विभिन्न उपयोगीसॉफ्टवेयर एपलीकेशन्स

चुनौतियां

- मानसिक दृष्टिकोण– आत्मसम्मान व स्वभाषा में स्वाभिमान के पारस्परिक श्रृंखलात्मक संबंध की कमी; साथ ही दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी में विरोधात्मक संबंध को निराधार रूप से जारी रखना ।
- संचार, अर्थ एवं वाणिज्य जगत में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा का निरंतर बढ़ता वर्चस्व
- बहुभाषीय कौशल के प्रति अपेक्षाकृत कम रुझान
- शिक्षा तथा शासकीय जगत में हिंदी के प्रति नीति में समरूपता का अपेक्षाकृत अभाव
- ऐच्छिकता व स्वैच्छिकता के पुट की अतिरंजना; न्यूनतम स्तर तक भी हिंदी शिक्षण और अध्ययन की अनिवार्यता से अभी परहेज़ ।

राजभाषा विभाग के योजनाबद्ध कार्यक्रम

- राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी भाषा एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण, हिंदी सॉफ्टवेयर विकास तथा राजभाषा पुरस्कार एवं प्रचार संबंधी योजनाएँ लागू की जाती हैं।
- राजभाषा विभाग का योजना स्कीमों पर व्यय नवीं पंचवर्षीय योजना में रू. 12.60 करोड़ था जो दसवीं पंचवर्षीय योजना में रू. 21.91 करोड़ हो गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राजभाषा विभाग को रू. 40.00 करोड़ आवंटित हुए हैं जिसमें से विभाग ने पहले वर्ष (2007-08) में रू. 9.47 करोड़ तथा वर्ष 2008-09 में रू. 8.44 करोड़ का व्यय किया है। विभाग को वर्ष 2009-10 में योजना बजट के अंतर्गत रू. 10.00 करोड़ (अंतरिम रूप से) आवंटित हुए हैं। वर्ष 2010-11 में प्लान बजट में रु. 550 लाख व नॉन प्लान में रु. 2867 लाख का आवंटन हुआ। वर्ष 2011-12 के लिए प्लान में रु. 3350 और नॉन प्लान के लिए रु. 3425 की माँग की गई है।

- विभाग की योजना स्कीमों का स्वतंत्र मूल्यांकन मार्च, 2008 में आई.आई.पी.ए., दिल्ली के द्वारा कराया गया । मूल्यांकन में राजभाषा विभाग की सभी योजना स्कीमों को उपयोगी करार देते हुए इनको 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने को न्यायोचित ठहराया गया है ।

- कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग में सहायक सॉफ्टवेयरों के विकास के लिए चलायी जा रही 'हिंदी सॉफ्टवेयर विकास' स्कीम विभाग की फ्लैगशिप स्कीम है जिस पर दसवीं पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय का 42% हिस्सा व्यय किया गया । 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिए कुल आवंटित योजना राशि का 60% से ज्यादा हिस्सा व्यय करना प्रस्तावित है ।

विभाग का बजट

वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11 तक राजभाषा विभाग को आवंटित राशि (प्लान तथा नॉन प्लान) तथा उसके सापेक्ष व्यय की गई राशि

(रु. लाखों में)

वर्ष	बजट परिव्यय (Budget Estimates)		वास्तविक व्यय (Actual Expenditure)	
	प्लान	नॉन प्लान	प्लान	नॉन प्लान
1.	2.	3.	4.	5.
2007-08	1000.00	1629.00	947.69	1583.29
2008-09	800.00	1777.00	843.86	2242.53
2009-10	1100.00	2595.00	513.27	2935.09
2010-11 (नवंबर 2010 तक)	550.00	2867.00	391.58	2300.43

वर्ष 2011-12 में प्लान व नॉन प्लान के अंतर्गत क्रमश: रु. 3350.00 व रु. 3425.00 की माँग की गई है।

राजभाषा विभाग का संगठनात्मक ढांचा

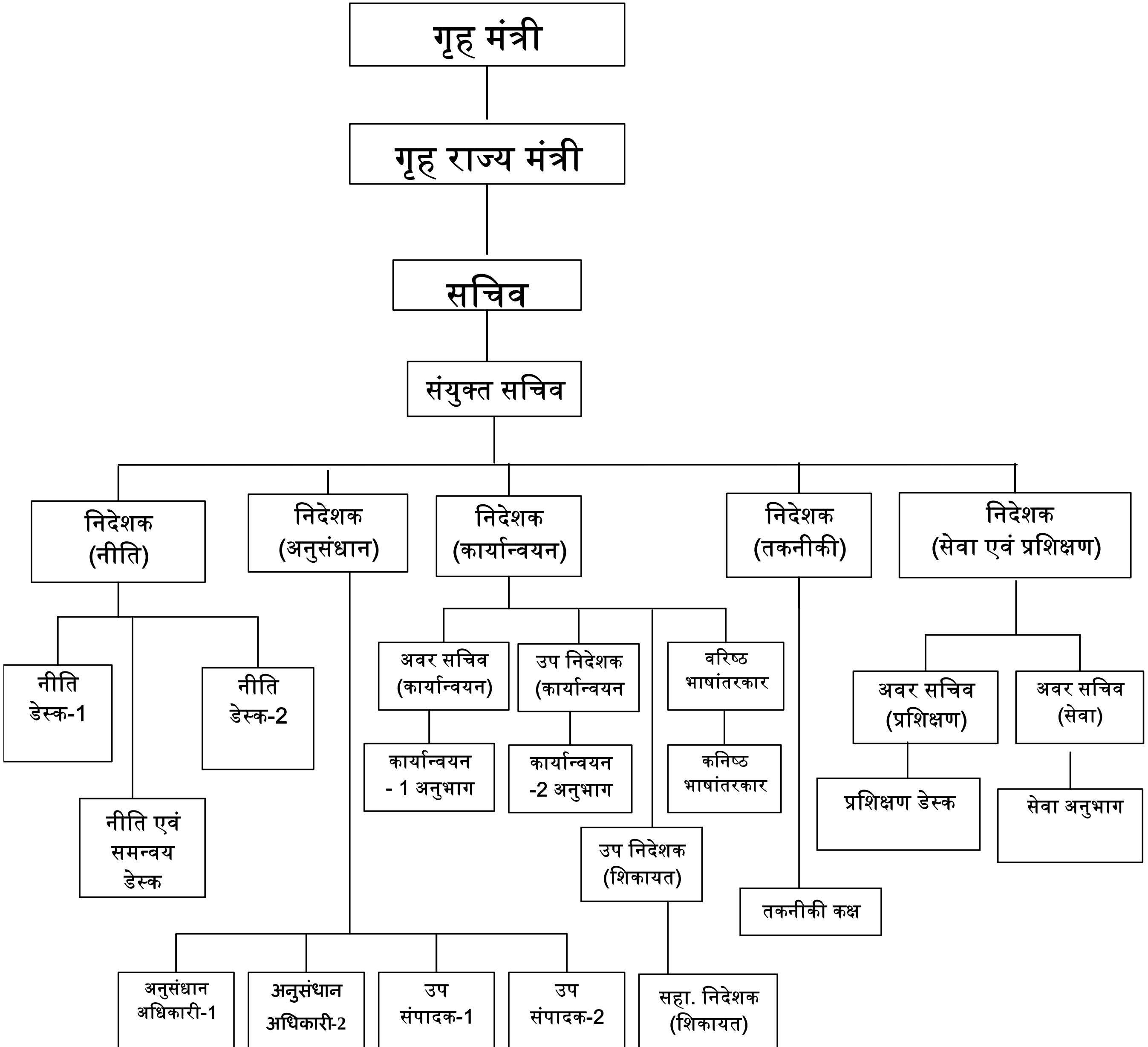

राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का ढांचा

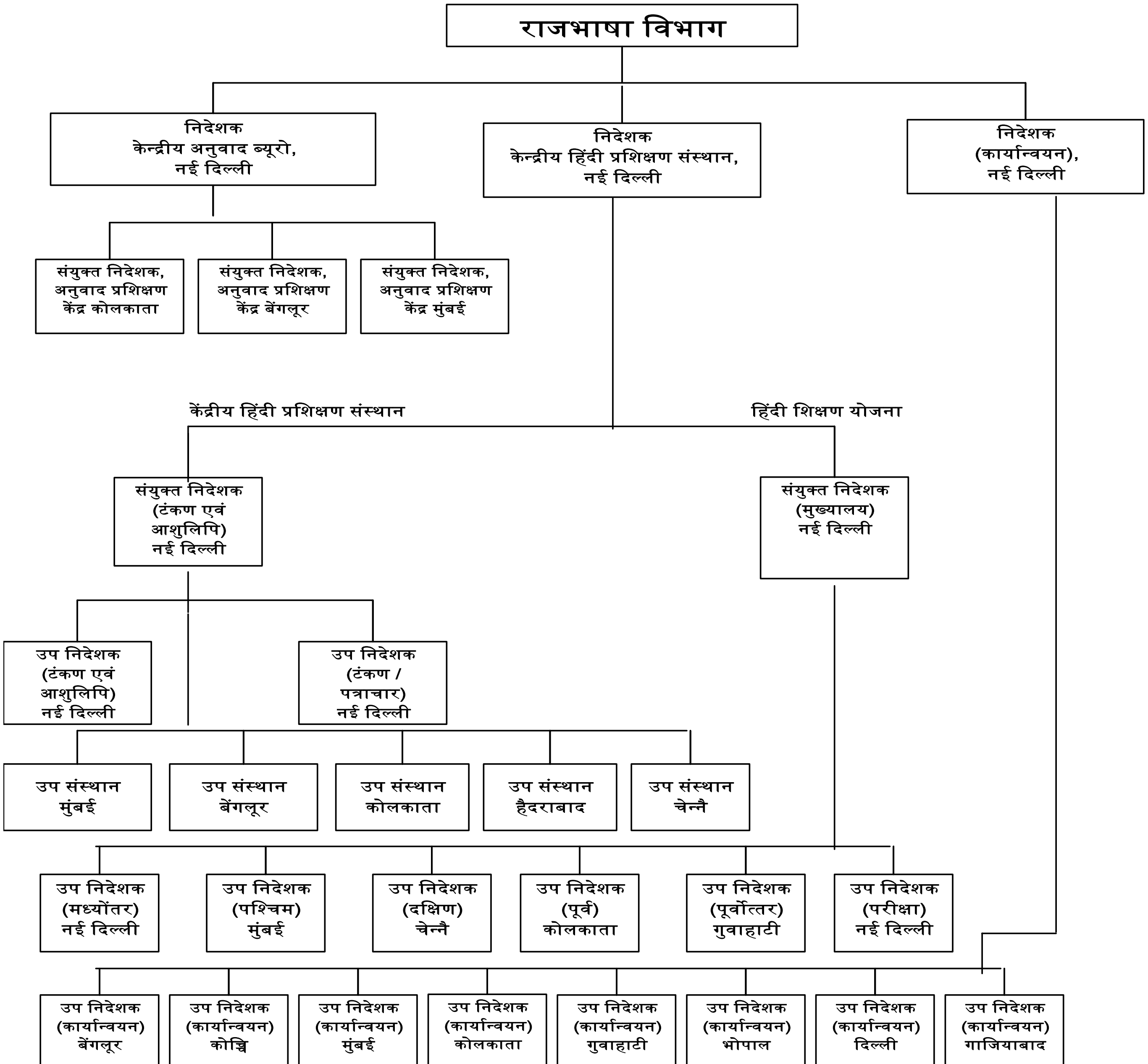

हिंदी के बारे में विभिन्न महापुरुषों के वचन

- हिंदुस्तान में हिंदी सामान्य भाषा और अंतर्प्रान्तीय भाषा है तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिए जरुरी है। यह वह भाषा है जो भारत को इकट्ठा करके रखेगी और राष्ट्र को एक बनाएगी।

  - जवाहरलाल नेहरु

-

- आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है, जिसका एक-एक दल एक-एक प्रांतीय भाषा और उसकी साहित्य-संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा ही नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सारी प्रांतीय बोलियां, जिनमें सुंदर साहित्य की सृष्टि हुई है, अपने-अपने घर में (प्रांत में) रानी बन कर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्य मणि हिंदी भारत-भारती होकर विराजती रहे।

- रवीन्द्रनाथ टैगोर

सत्यमेव जयते

पी. चिदम्बरम
P. CHIDAMBARAM
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियों,

हिन्दी दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएँ।

वैश्वीकरण, उदारीकरण और सूचना-प्रौद्योगिकी के इस युग में, भाषा, साहित्य और संस्कृति का महत्व कई गुना बढ़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा और बहु भाषा-भाषी देश है। हिन्दी ने हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के संघर्ष में एक नई जान डाल दी। अन्य भाषाओं की तरह, कई संतों, बुद्धिजीवियों और कुलीन लोग हिन्दी में बोलते और लिखते हैं, इन्होंने हमारे राष्ट्र में एकता लाने की दिशा में लगातार काम किया है।

हमें सरकारी कामकाज करने में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना जारी रखना चाहिए। हमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करके, आम बोल-चाल के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। यह मेरा पक्का विश्वास है कि सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का प्रयोग किए जाने से हिन्दी भाषा की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।

मॉरिशस में एक विश्व हिन्दी सचिवालय स्थापित किया जा चुका है। यह सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करेगा तथा पूरे विश्व में हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी पुस्तकालय को स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेगा।

कम्प्यूटरों पर हिन्दी का प्रगामी प्रयोग करने में महसूस की जा रही समस्या उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी और भाषा के कोडीकरण के मानक यूनीकोड को न अपनाए जाने के कारण है। संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी के प्रयोग के बारे में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं और कम्प्यूटरों पर भाषा के कोडीकरण का मानक यूनीकोड अपनाए जाने के लाभ के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

आजकल वेबसाइटें सभी लोगों को उपयोगी जानकारी और ज्ञान उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निवाह रही हैं और बहुमूल्य योगदान कर रही हैं। ज्यादातर मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी वेबसाइटें, अंग्रेजी वेबसाइटों की तुलना में पूरी और अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करवातीं। हिन्दी वेबसाइटों पर पूरी और अद्यतन जानकारी उपलब्ध करवाने के क्रम में तत्काल प्रभावी कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किये जाने पर ज़ोर देते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। मैं केन्द्रीय सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से इन लक्ष्यों को हासिल करने के सच्चे प्रयत्न करने का आग्रह करता हूँ।

हमें हिन्दी को बढ़ावा देने और उसका प्रचार-प्रसार करने की एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। आइए, हम सब मिलकर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को इस तरह बढ़ावा देने का संकल्प करें जिससे कि यह भाषा जन-साधारण की भाषा बनकर हमारे राष्ट्र के विकास में सहायक हो सके।

जय हिन्द,
नई दिल्ली
14 सितम्बर, 2009

(पी. चिदम्बरम)

सत्यमेव जयते

पी. चिदम्बरम
P. CHIDAMBARAM

गृह मंत्री, भारत

HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं !

हमारे देश के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। सूचना-प्रोद्योगिकी क्रांति और उन्नत संचार व्यवस्था ने संपूर्ण विश्व को एक विश्वग्राम में परिवर्तित कर दिया है। हिंदी का प्रयोग तीव्र गति से हो रहा है। हिंदी को इस स्थान तक पहुंचाने में हिंदीतर भाषी विद्वानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज़, काग़ज़ात आदि द्विभाषी रूप में तैयार किए जाते हैं। मूल रूप से हिंदी में किए जाने वाले कार्य, राजभाषा के रूप में हिंदी की बेहतर प्रगति का संकेत होगा। अतः कार्यालयों में हिंदी में मूल टिप्पण व पत्राचार को प्रोत्साहित किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अतिरिक्त, कठिन हिंदी के बजाय सरल एवं सहज हिंदी का प्रयोग, हिंदी की व्यापक पहुंच एवं प्रचार में सहायक साबित होगा।

कंप्यूटर और सूचना-प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान उपलब्ध करवाने में वेबसाइटों की उल्लेखनीय भूमिका है। अतः केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों की हिंदी वेबसाइटों पर अंग्रेजी वेबसाइटों के समान नवीनतम एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध होना जरूरी है। आज हमारे कंप्यूटर बिना किसी कठिनाई के हिंदी में काम करने में पूरी तरह सक्षम हैं। सूचना-प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति का पूरा लाभ हिंदी प्रयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग के लिए मानक भाषा एनकोडिंग यानी यूनिकोड का प्रयोग किया जाए। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों को यूनिकोड के प्रयोग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है, लेकिन इस तकनीक का पूरा लाभ उठाने के लिए इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है।

स्पष्ट रूप से लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। मैं केंद्रीय सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ठोस प्रयास करने का आग्रह करता हूं। साथ ही, यह भी अपील करता हूं कि इस संबंध में भेजी जाने वाली प्रगति रिपोर्टों में वास्तविक और तथ्यपरक आंकड़े एवं सूचनाएं ही दी जानी चाहिएं।

संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्‌भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है किंतु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है। आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के अपने संवैधानिक और नैतिक दायित्व के निर्वहन का संकल्प लें।

जय हिंद !

नई दिल्ली,
14 सितम्बर, 2010

पी. चिदम्बरम

राजभाषा विभाग,
Department of Official Language, Ministry of Home
सितम्बर 2007
शिवराज वि. पाटील

सत्यमेव जयते
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India

सत्यमेव जयते
षा विभाग, गृह मंत्रालय, भार
nt of Official Language, Ministry s, Gove
प्रतिभा दे

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India
हिंदी दिवस समारोह

14 सितम्बर 2010
पी. चिदंबरम
गृह मंत्री
मो. हामिद अंसारी
उप राष्ट्रपति, भारत

हार्दिक

धन्यवाद